विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,403.80 करोड़ से सन्निहित कर, ब्याज इत्यादि का आरोपण नहीं किये जाने/कम आरोपण से संबंधित 44 कंडिकाएँ हैं, जिसमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा के मामले भी शामिल हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

I. सामान्य

वर्ष 2013–14 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 68,918.65 करोड़ थी। कर राजस्व के ₹ 19,960.68 करोड़ और कर भिन्न राजस्व के ₹ 1,544.83 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 21,505.51 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से ₹ 47,413.14 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्साः ₹ 34,829.11 करोड़ और सहायता अनुदानः ₹ 12,584.03 करोड़) की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कर राजस्व में राज्य सरकार का अपना योगदान कुल राजस्व का मात्र 31 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.1.1)

दिसम्बर 2013 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं, जिनका निराकरण जून 2014 तक नहीं हो पाया था, की संख्या क्रमशः 4,806 एवं 27,764 थी जिसमें ₹ 17,825.55 करोड़ सन्निहित थे। 1,773 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि इनके निर्गत होने के एक माह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.6)

हमने वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की वर्ष 2013–14 के दौरान नमूना जाँच किया एवं 3,357 मामलों में ₹ 2,310.97 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। अप्रैल 2013 से अगस्त 2014 की अवधि के दौरान संबंधित विभागों ने ₹ 785.06 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसे वर्ष 2013–14 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गये थे।

(कंडिका 1.9)

II. वाणिज्य–कर

'प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसुचित हुई।

प्रवेश कर की दरों को चार से पाँच प्रतिशत बढाने हेतु अधिसूचना जारी करने के क्रम में मंत्रिमंडल के निर्णय से विचलन किया गया जिसमें ₹ 8.37 करोड़ का राजस्व प्रभाव निहित था।

(कंडिका 2.3.7.1)

मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम लागू होने के बाद बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 में संशोधन नहीं किये जाने के कारण विवरणी की संवीक्षा, ब्याज और दण्ड का आरोपण एवं टैक्स ऑडिट संबंधी प्रावधान प्रवेश कर अधिनियम में लागू नहीं थे।

(कंडिका 2.3.8.1)

बिहार ट्रेड डेवलपमेंट फण्ड के अंतर्गत संग्रहित कुल राशि ₹ 7,482.61 करोड़ का उपयोग प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत उल्लेखित उद्देश्यों एवं विहित तरीके से नहीं किया गया।

(कंडिका 2.3.9)

पन्द्रह अंचलों में, ₹ 37.88 करोड़ के अनुसूचित वस्तुओं के आयात करने के बावजूद 26 व्यवसायियों ने प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत निबंधन नहीं कराया जिसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 4.24 करोड़ का प्रवेश कर कम आरोपित हुआ।

(कंडिका 2.3.11)

तेरह अंचलों में, वर्ष 2008–2009 से 2012–13 की अवधि में मात्र 12.57 से 17.48 प्रतिशत व्यवसायियों का कर निर्धारण किया गया था।

(कंडिका 2.3.13)

वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान ₹ 714.89 करोड़ मूल्य के आयात का छिपाव 14 अंचलों में 21 व्यवसायियों द्वारा किया गया जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 223.29 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.3.14)

वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान नौ अंचलों के 22 व्यवसायियों द्वारा प्रवेश कर के गलत दर लगाये जाने के कारण आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 66.66 करोड़ का प्रवेश कर कम आरोपित हुआ।

(कंडिका 2.3.15)

लेन–देन की तिर्यक जाँच से वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान ₹ 1,416.22 करोड़ के आयात मूल्य का छिपाव एवं अर्थदण्ड सहित ₹ 119.03 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण का पता चला।

(कंडिका 2.3.21.1 एवं 2.3.21.2)

बिहार के मार्ग से होते हुए पारगमन के लिए ₹ 5,402.37 करोड़ मूल्य के मालों के साथ 12,552 वाहनों ने दो चेक पोस्ट पर आउट टू आउट सुविधा का उपयोग किया। यद्यपि इन वाहनों का बिहार में प्रवेश हुआ परन्तु निकास नहीं हुआ, जिससे राजस्व का रिसाव हुआ।

(कंडिका 2.3.22)

ग्यारह वाणिज्य–कर अंचलों में 15 व्यवसायियों द्वारा ₹ 217.87 करोड़ के विक्रय/क्रय आवर्त्त का छिपाव किये जाने के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 76.27 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.5)

चार वाणिज्य–कर अंचलों में सात व्यवसायियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित दावे के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 33.80 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई।

(कंडिका 2.6)

भागलपुर वाणिज्य–कर अंचल में उर्जा की बिक्री पर अर्थदण्ड सहित ₹ 416.96 करोड़ का विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं हुआ था।

(कंडिका 2.18)

III. राज्य उत्पाद

न्यूनतम निविदादाता द्वारा निविदित दर के बदले उनके निविदित दर के आधार पर अंतर राशि के भुगतान की अनुमति दिए जाने के कारण विभाग वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 341.32 करोड़ से वंचित रहेगा।

(कंडिका 3.4.2.1)

तीन उत्पाद कार्यालयों में कोषागार अभिलेखों से अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा की गई राशि का सत्यापन एवं उत्पाद पदाधिकारियों द्वारा बिक्री अधिसूचना के शर्त्तों का अनुपालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 8.15 करोड़ का गबन हुआ।

(कंडिका 3.5)

IV. मोटर वाहनों पर कर

तीस जिला परिवहन कार्यालयों में अप्रैल 2008 एवं मार्च 2014 के अवधि के बीच 1,608 परिवहन वाहनों से संबंधित ₹ 2.09 करोड़ के बकाये कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा ₹ 5.84 करोड़ (अर्थदण्ड सहित) के बकायों की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गयी थी।

(कंडिका 4.4)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

मोबाइल कम्पनी तथा भू–स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर ₹ 18.34 लाख का मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 5.7)

VI. कर भिन्न प्राप्तियाँ

छः जिला खनन कार्यालयों में खनिजों के अवैध अधिप्राप्ति हेतु कार्य संवेदकों के विरूद्ध ₹ 5.47 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था, जबकि आरोप्य था।

(कंडिका 6.4)

छः जिला खनन कार्यालयों में बालू घाटों की बंदोबस्ती के विलेखों का निबंधन नहीं कराए जाने के कारण ₹ 2.94 करोड़ के निबंधन फीस की हानि हुई।

(कंडिका 6.6)